


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(निवम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
प्रेमीबाई बनाम जीतमल

किसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 138/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>9.4.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>पति प्रेमीबाई</u> श्री <u>चुन्नीलाल तिवारी</u></p> <p>निवासी <u>रामपुरा नगर (नाजेलिम)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>नगरी</u> (प.ह. नगरी <u>खरसा</u>) स्थित खातेदारों की आराजी नम्बर.....</p> <p><u>1040</u> , <u>1309</u> <u>3021</u> , <u>3022</u></p> <p>कुल कीता <u>0.2</u> कुल रकम <u>0.43</u> हे० की पत्थरगड़ी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नगरी</u> स्थित खातेदारों की आराजी नम्बर <u>1040</u> , <u>1309</u> <u>3021</u> , <u>3022</u></p> <p>कुल कीता <u>0.2</u> रकम <u>0.43</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगड़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगड़ी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरों <u>एड हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बिनु देवल) सहायक बालकटर एण्ड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>